न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0, एक्ट, श्रावस्ती।

परिवाद संख्या 33/2025
मायादेवी –प्रति– अमृतलाल आदि
थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 17–06–2026

पत्रावली पेश हुई। बहस तलबी के बिन्दु पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना। पत्रावली वास्ते आदेश लंच बाद पेश हो।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।

दिनांक 17–06–2026

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस तलबी के बिन्दु पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को पूर्व में सुना जा चुका है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी मायादेवी द्वारा परिवाद विरूद्ध विपक्षीगण अमृतलाल, मन्जू देवी, ननकईया, कुन्ज बिहारी के विरूद्ध इन कथनों का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति धोबी महिला है। घटना दिनांक 08–04–2025 समय करीब शाम 5 बजे की है। प्रार्थिनी व विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा चला रहा था और विपक्षीगण उस मुकदमे में सुलह का दबाव बना रहे थे तथा गाली गलौज कर रहे थे। विपक्षी अमृतलाल उर्फ अजय कुमार प्रार्थिनी को देखकर गाली दे रहा था प्रार्थिनी ने गाली देने से मना किया और प्रार्थिनी वहां से अपने घर चली आई। इसी बात पर विपक्षीगण प्रार्थिनी के घर पर चढ़ आये और लात मुक्का घूंसा थप्पड़ से मारा पीटा और कहा धोबिन मादरचोद मुकदमा मे सुलह नहीं कर रही हो इसको जान से मार दो। प्रार्थिनी के घर मे घुसकर बाल पकड़ कर पटक दिये काफी मारा पीटा तथा सामान का तोड़ फोड किया। प्रार्थिनी का कपड़ा फट गया वह अर्धनग्न हो गयी और उसकी लज्जा भंग हो गयी। शोर पर सुनीता, रामराजा, मुन्नालाल व राहगीर तमाम लोग आ गये तथा प्रार्थिनी की जान बचाई विपक्षीगण धमकी देकर चले गये। घटना की सूचना थाने पर दिया, एस0पी0 को पत्र लिखा कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी ने स्वयं डाक्टरी परीक्षण कराया जिसमें काफी चोटे आई है। तदनुसार विपक्षीगण को तलब कर दण्डित किये जाने का याचना की गयी है।

अभिलेखीय साक्ष्य में परिवादिनी के द्वारा सूची बी 5/1 के माध्यम से आधार कार्ड की फोटो प्रति, थानाध्यक्ष सिरसिया को भेजे गये पत्र की छायाप्रति पुलिस अधीक्षक को भेजे गये पत्र की छायाप्रति, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जिसमे आवेदिका को धोबी जाति का बताते हुए उसे अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ चिकित्सीय परीक्षण आख्या भी प्रस्तुत की गयी है। परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद कथानक के समर्थन में धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित के अन्तर्गत स्वयं का बयान तथा पी0डब्लू–1 मुन्नालाल, पी0डब्लू–2 मनोहर लाल व पी0डब्लू–3 रामराजी का बयान अंकित कराया है।

सुना तथा अवलोकन किया।

परिवाद पत्र के अनुसार घटना दिनांक 08–04–2025 समय 5 बजे की बताई गयी है जब विपक्षीगण परिवादिनी के घर पर चढ़ आये और मुकदमे मे समझौते के लिए दबाव डाले। न मानने पर परिवादिनी के साथ मारपीट की गयी उसे जातिसूचक गालियां दी गयी। परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 323 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता मे पहले अमृतलाल के घर पर आने बाद में सुलह हेतु दबाव डालने की बात कही गयी है एवं उसके बाद अन्य विपक्षीगण को बुलाकर मारपीट किये जाने का बयान दिया है। साक्षी पी0डब्लू–1 मुन्नालाल, पी0डब्लू–2 मनोहर लाल व पी0डब्लू–3 रामराजी ने भी सभी विपक्षीगण द्वारा घर में घुसकर मारपीट किये जाने का कथन किया है। परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत चोटो के बावत मेडिकल आख्या दिांक 30–04–2025 पांच दिन पुरानी चोटें बताई गयी है जबकि घटना दिनांक 08–04–2025 की है। अर्थात लगभग 22 दिन पुरानी है। मेडिकल आख्या से भी परिवादिनी के कथनों की पुष्टि नहीं होता है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियो के दृष्टिगत अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 226 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है।

(अवनीश गौतम)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।